संख्या-07/2016/429 ई-2/तेरह-2016-123/2014

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 19 फरवरी,2016

विषय:- शीरा नीति वर्ष 2014-15 के सम्बन्ध में प्राप्त धामपुर समूह के प्रत्यावेदन का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-70/दस-185(1)/शीरा नीति/2014-15, दिनांक 01 अक्टूबर,2015 तथा पत्र संख्या-जी-76/दस-185(1)/शीरा नीति/2014-15, दिनांक 08 अक्टूबर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त धामपुर समूह द्वारा अन्य चीनी मिलों से क्रय/सम्भरित किये गये शीरे को शीरा वर्ष 2014-15 में समूह के कैप्टिव/स्वयं उपभोग में शामिल करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा प्रदेश के राजस्वहित में देशी मदिरा के निर्धारित एम0जी0क्यू0 के लिये अपेक्षित मात्रा में आरक्षित श्रेणी के शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(2) यदि देशी मदिरा के निर्धारित एम0जी0क्यू0 के लिये अपेक्षित मात्रा में आरक्षित श्रेणी का शीरा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(3) समूह/इकाई द्वारा शीरे की बिक्री कदापि नहीं की जायेगी। समूह द्वारा शीरे की बिक्री करना पाये जाने पर आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और उससे लागू आरक्षण के अनुसार देय शीरे की कुल मात्रा वसूल की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) भविष्य में समूह/इकाई द्वारा अपना उत्पादित शीरा पहले उपभोग किया जायेगा, तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार बाहर की अन्य चीनी मिलों से क्रय किये गये शीरे का उपभोग किया जायेगा, ताकि इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो।

(5) इस सुविधा का दुरूपयोग सामने आने पर यह आरम्भ से समाप्त मानी जायेगी।

(6) यह सुविधा केवल शीरा वर्ष 2014-15 के लिये है और प्रथम एवं अन्तिम बार दी जा रही है। अत: इसको भविष्य के लिये दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।